17

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 09/2022 | दायर दिनांक-28.01.2022

1. रीछपाल पुत्र मूंगाराम जाति माली निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

-वादी

बनाम

1. रीता सैनी पत्नी श्री रामगोपाल सैनी जाति माली निवासी भैरूबास तन झाझड़ तहसील नवलगढ़।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़।

-प्रतिवादीगण

वकील वादी : - श्री विजेन्द्र सिंह दूत
वकील प्रति. :- एकपक्षीय

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
व दुरूस्ती रिकॉर्ड

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 08.05.2023

वादिगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :- ग्राम झाझड़ की सरहद में स्थित भूमि पुराने खसरा नम्बर 127 तादाती 10 बीघा 13 विश्वा पुख्ता जिसके नये खसरा नम्बर 502 रकबा 2.5600 है0, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.0300 है0, खसरा नम्बर 1949/537 रकबा 0.0900 है0 कुल रकबा 2.6800 है0 स्थित है जो वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि है जिसकी पुरानी जमाबंदी 'ए' मार्क व पुरानी पैमाईश सर्वेशीट सम्वत् 2009-2010 'बी' मार्क व नकल मिलान क्षेत्रफल 'सी' मार्क व नई पैमाईश सर्वेसीट 'डी' मार्क व नई जमाबंदी 'ई' व 'एफ' मार्क व नक्शा ट्रेस 'जी' व 'एच' मार्क से वाद पत्र के साथ पेश है। उक्त भूमि पर वादी काबिज व काश्त है तथा उपयोग उपभोग कर रहा है।

प्रश्नगत कृषि भूमि के पूर्वी दक्षिणी छोर पर प्रतिवादी सं0 1 की कृषि भूमि ख0 न0 569 रकबा 1.3700 है0 स्थित है। जिसकी नई जमाबंदी आई मार्क व नक्शा ट्रेस 'जे' मार्क से है इसके सम्बंध में वादी का कोई विवाद नही है लेकिन नई पैमाईशवालों ने अपने अधिकार का दुरूपयोग करके प्रशनगत कृषि भूमि का पूर्वी दक्षिणी कोर्नर का कुछ हिस्सा अलग करके उसके अलग ख0 नं0 568 रकबा 0.0300 है0 करके प्रतिवादी सं0 1 की कृषि भूमि की तरफ दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड का नक्शा ट्रेस व नई सर्वेशीट में गलत इन्द्राज कर दिया है। जिससे प्रशनगत कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज आ रहा है। पुरानी पैमाईश की सर्वेसीट व रिकॉर्ड के अनुसार प्रशनगत कृषि भूमि का नक्शा सही दर्ज है। जिसके मुताबिक सही व दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है।

अतः वाद पत्र पेशकर निवेदन है कि:- वाद पत्र बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रशनगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 502 रकबा 2.5600 है0, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.0300 है0, खसरा नम्बर 1949/537 रकबा 0.0900 है0 का नई पैमाइश में गलत व विधी विरूद्व तरीके से राजस्व रिकॉर्ड का नक्शा ट्रेस दो भागों में विभाजित करके गलत बनाया है जिसको नजरी नक्शे में 'अक्स' बिन्दु की लाल रंग से दिखाई गई भूमि सहित सम्पूर्ण प्रशनगत कृषि भूमि का पुराने खसरा नम्बर 127 तादादी 10 बीघा 13 विश्वा पुख्ता की सर्वेशीट के अनुसार सही व दुरूस्ती की जाकर नक्शा ट्रेस व नई सर्वेशीट में अंकन दर्ज किया जावें।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने बाद अवलोकन [illegible] प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की तामिल सम्यक रू[illegible]के ओर से कोई उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक प[illegible] की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में विवाद्यक बनाये [illegible] है।

साक्ष्य वादी में स्वयं वादी रिछपाल सिंह पुत्र श्री मूंगाराम जाति माली निवासी झाझड़ व उम्[illegible] सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ उपस्थित होकर [illegible] का सपथ पत्र पेश किया त[illegible] अपने वाद-पत्र के संबंध में प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी संवत 2018-2021, प्रदर्श 2 नकल नक्शा शीट संवत 2009-2010, प्रदर्श 3 नकल मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी संवत 2075-2078, प्रदर्श 05 नकल जमाबंदी संवत 2075-2078, प्रदर्श 06 नकल जमाबंदी संवत 2075-2078, प्रदर्श 07 नकल नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 08 नकल नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 09नकल जमाबंदी संवत 2075-2078, प्रदर्श 10 नकल नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 11 पर्चा चकबंदी सेटलमेंट आदि दस्तावेजात प्रदर्शित करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:57:38 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

तहसीलदार नवलगढ से दोनो नक्शा सीट की प्रति व मौके की वर्तमान वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश की गई। शहादत वादी पेश होने के पश्चात बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। बहस व वस्तुस्थिति मौका रिपोर्ट का मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार राजस्व ग्राम झाझड़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 502 रकबा 2.5600 है0, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.0300 है0, खसरा नम्बर 1949/537 रकबा 0.0900 है0 का नये भू प्रबंधन सेटलमेंट के समय राजस्व नक्शा बनाते समय पूर्व सैटलमेंट से बना नक्शा अनुसार नक्शा नही बना है इसलिए वर्तमान नक्शा शीट को पुरानी नक्शा शीट संवत् 2009–2010 के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः वाद वादीगण न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम झाझड़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 502 रकबा 2.5600 है0, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.0300 है0, खसरा नम्बर 1949/537 रकबा 0.0900 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में नक्शा शीट संवत् 2009–2010 के अनुसार दुरूस्ती के आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर व
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:57:38 IST
Reason: SelfAttested